न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/88/2024

01. श्रीमती तारामणी पत्नी श्री प्रकाश चन्द उम्र 38 वर्ष
02. प्रकाश पुत्र श्री किशना उम्र 44 वर्ष
समस्त जाति जाट निवासीगण बिजारणियों की ढाणी, ग्राम रामपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

01. मुकेश कुमार पुत्र श्री शिशपाल सिंह जाति जाट निवासी बासरी कलां, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (हजब)
02. पन्नी पत्नी श्री किशनाराम
03. रूघनाथ पुत्र श्री किशनाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
04. भूमिधारी तहसीलदार महोदय, तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–
01. श्री धर्मवीर सिंह नाथावत, वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री पूर्णमल यादव, वकील अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 18.11.2025

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थीगण/वादीगण ने वाद बहुत ही ठोस आधारो, तथ्यों पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण को अपनी सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीया सं. 1 व अप्रार्थीगण सं. ता 3 एवं वाद के प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 एवं 8 ता 12 की खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा सं. 12 रकबा 0.7900 हेक्टेयर, खसरा सं. 13 रकबा 0.7700 हेक्टेयर, खसरा सं. 14 रकबा 0.5500 हेक्टेयर, खसरा सं. 418/71 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा सं. 419/71 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, खसरा सं. 55 रकबा 1.0600 हेक्टेयर, खसरा सं. 53 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा सं. 58 रकबा 0.1500 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.1400 हेक्टेयर एवं प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 2 व 3 तथा वाद के प्रतिवादीगण सं. 13 ता 15 व 17 ता 19 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 51 रकबा 0.7100 हेक्टेयर एवं प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 2 व 3 तथा वाद के प्रतिवादीगण सं. 14 व 15 एवं 17 ता 19 की खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा सं. 52 रकबा 0.7200 हेक्टेयर, खसरा सं. 53 रकबा 0.7600 हेक्टेयर, खसरा सं. 54 रकबा 0.7600 हेक्टेयर [illegible] 3 कुल रकबा 2.2400 हेक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का पुरा [illegible] जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजियात कृषि भूमियां खसरा सं. [illegible] 13, 14, 418/71, 419/71, 55, 56, 58 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1400 हेक्टेयर में प्रार्थीया सं. 1 व अप्रार्थीगण सं. [illegible] 3 एवं वाद के प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 एवं 8 ता 12 ने मौका पर बाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.19 12:55:08 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

जिसके अनुसार भूमि खसरा सं. 12 पर पश्चिम साईड 1/3 हिस्से पर वाद के प्रतिवादी सं. 9 बलबीर व 2/3 हिस्से पूर्व की तरफ प्रार्थीया सं. 1 काबिज आबाद है तथा प्रार्थीया सं. 1 अपने हिस्से में आई भूमि मे पशुओं के लिए टीनशेड लगाकर चारागाह के रूप में उपयोग कर रही है तथा इसी प्रकार भूमि खसरा सं. 55 में 1/3 हिस्से उत्तर दिशा की ओर वाद के प्रतिवादी सं. 9 बलबीर के हक, हिस्से में आया है तथा 2/3 हिस्सा दक्षिणी दिशा का प्रार्थीया सं. 1 के हक, हिस्से, पांती में आया हुआ है, जिस पर प्रार्थीया सं. 1 रिहायशी पक्के मकानात बनाकर काबिज, काश्त है। इसी प्रकार उक्त खसरा नम्बरान में अन्य कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 को छोड़कर शेष खातेदार अपने–अपने हिस्से अनुसार भूमियों पर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित आराजियात खसरा सं. 51 में प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 2 व 3 तथा वाद के प्रतिवादीगण सं. 13 ता 15 एवं 17 ता 19 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उक्त वर्णित आराजियात खसरा सं. 52, 53, 54 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2400 हेक्टेयर में प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 2 व 3 तथा वाद के प्रतिवादीगण सं. 14 व 15 एवं 17 ता 19 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज, काश्त है। भूमि खसरा सं. 418/71 व खसरा सं. 58 वर्तमान में गै.मु.रास्ता है। जिसका प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 एवं वाद के प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 एवं 8 ता 15 एवं 17 ता 19 रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीया सं. 1 प्रार्थी सं. 2 की धर्मपत्नी है। प्रार्थी सं. 2 ने उक्त कृषि भूमियां खसरा 12, 13, 14, 418/71, 419/71, 55, 56, 58 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1400 हेक्टेयर में से अपना संपूर्ण हिस्सा 2287/13800 प्रार्थीया सं. 1 को गिफ्ट कर कब्जा सम्मला दिया था, जिसके कारण प्रार्थीया सं. 1 का उक्त हिस्सा उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया संख्या 1 आवेदन की मद संख्या 3 में बताये अनुसार काबिज काश्त है।8– यह कि उक्त भूमियों का मौके पर बाहमी तौर पर मौखिक बंटवारा हुआ है, लेकिन विधिवत रूप से अर्थात् बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है। बिना विधिवत बंटवारा किये हुये ही अप्रार्थी सं. 3 ने अपना भौतिक कब्जा रहे बगैर अप्रार्थी सं. 1 को खसरा सं. 12, 13, 14, 418/71, 419/71, 55, 53, 58 कुल किता 9 कुल रकबा 4.1400 हेक्टेयर में से हिस्सा 1163/13800 का बिना कब्जा अंतरण के विक्रय कर दिया। उक्त विकय पत्र बिना किसी भी प्रकार के कब्जे का अंतरण हुए बगैर किया गया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। दिनांक 10.08.2024 को अप्रार्थी सं. 1 कुछ 4–5 भूमाफियां लोगों को साथ लेकर मौके पर आया तथा प्रार्थीया सं. 1 को उसके कब्जे व हिस्से में आयी भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीया सं. 1 के खेत में घुस कर प्रार्थीगण को कब्जा कर बेचान करने की धमकीयां देने लगे। प्रार्थीगण ने इस घटना के बाद अप्रार्थी सं. 2 व 3 एवं वाद के प्रतिवादी सं. 2 ता 6, 8 ता 15 एवं 17 ता 19 को सहमति से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करने का निवेदन दिनांक 11.08.2024 को किया तो अप्रार्थीगण सहमति से बंटवारा करवाने से इंकार हो गये व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने ऐलानियां धमकी दी कि बिना बंटवारा करवाये ही अजनबी व्यक्तियों को भूमि का विक्रय करेगें। अप्रार्थी सं. 1 पहले से ही धमका कर गया कि प्रार्थीगण के हक, हिस्से में आयी भूमि पर जबरन कब्जा करेगें तथा प्रार्थीया सं. 1 को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगें। अप्रार्थी सं. 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण अप्रार्थीगण को ऐसा न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपने हक, हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाकर खाता पृथक–पृथक करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला सबल एवं सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण की ही होने की प्रबल संभावना है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वाद भूमियों को कब्जे, हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से बिना बंटवारा भूमियों को विक्रय, अन्तरित, प्रभारित करने से बाज रहें व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.19 12:55:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री पूर्णमल यादव, एड. उपस्थित हुये, परन्तु जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में वर्णित आराजियात के संबंध में अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में बेचान करने पर उक्त अप्रार्थी सं. 1 का नाम हजब किये जाने बाबत आवेदन पेश होने पर उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाकर उक्त अप्रार्थी सं. 1 का नाम हजब किया गया।।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के कथन दोहराकर कथन किया कि हस्तगत आवेदन को स्वीकार किया जावें। उक्त आवेदन स्वीकार किये जाने पर वकील अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने अनापत्ति जाहिर की।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली, आवेदन एवं सभी दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में वर्णित आराजियात में उभयपक्ष मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों के खातेदारान दर्ज है तथा विवादित आराजियात में उभयपक्ष का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी साबित है। चूंकि इस स्टेज पर आराजियात का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या एक दूसरे के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बहुलता होगी तथा पक्षकारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उभयपक्षों के हक में बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– उक्त वर्णित आराजियात में उभयपक्ष अपनी–अपनी आराजियात में खातेदार होकर काबिज है। अतः सुविधा का संतुलन उभयपक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित आराजियात के मौके में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बहुलता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति उभयपक्षों को होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी उभयपक्ष को ही होनी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त खसरा सं. 12 रकबा 0.7900 हेक्टेयर, खसरा सं. 13 रकबा 0.7700 हेक्टेयर, खसरा सं. 14 रकबा 0.5500 हेक्टेयर, खसरा सं. 419/71 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, खसरा सं. 55 रकबा 1.0600 हेक्टेयर, खसरा सं. 56 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा सं. 70 रकबा 0.5100 हेक्टेयर, खसरा सं. 51 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, खसरा सं. 52 रकबा 0.7200 हेक्टेयर, खसरा सं. 53 रकबा 0.7600 हेक्टेयर, खसरा सं. 54 रकबा 0.7600 हेक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह आदेश उक्त अंतरिम स्थगन प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद दहे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.19 12:55:08 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

Scanned with OKEN Scanner